बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

विज्ञप्ति संख्या–पी0आर0 ..../2024

माध्यमिक विशेष एवं कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2024 की उत्तरपुस्तिकाओं के स्क्रूटनी कराने हेतु अवधि विस्तार के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि माध्यमिक विशेष एवं कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2024 में सम्मिलित परीक्षार्थियों को अपने किसी एक विषय या एक से अधिक या सभी विषयों के प्राप्तांक से असंतुष्ट होने की स्थिति में उन विषय/विषयों की उत्तरपुस्तिका के स्क्रूटिनी कराने हेतु समिति के वेबसाइट पर **दिनांक 02.06.2024 से 06.06.2024 तक की अवधि में रू0 120/–(एक सौ बीस रूपये मात्र) प्रति विषय की दर से निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विज्ञप्ति संख्या पी०आर० 202/2024 के माध्यम से संसूचित किया गया था।**

2. छात्रहित को ध्यान में रखते हुए शुल्क के साथ स्क्रूटिनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु दिनांक 10.06.2024 तक अवधि विस्तार किया गया है।

3. ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की प्रक्रिया :–

(i) उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु समिति के वेबसाइट **http://secondary.biharboardonline.com**, **http://biharboardonline.bihar.gov.in** अथवा **https://www.bsebscrutiny.com/login** पर "Apply for scrutiny (Secondary Special & Compartmental Examination 2024)" लिंक पर क्लिक कर परीक्षार्थी अपना रौल कोड, रौल नम्बर, जन्म तिथि (उदाहरण के तौर पर 52002–24010122–27–05–1997) अंकित करते हुए अपना पासवर्ड Create कर रजिस्टर करेंगे। इस पासवर्ड को विद्यार्थी भविष्य में अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखेंगे।

(ii) रौल कोड, रौल नम्बर एवं पासवर्ड का प्रयोग करते हुए Login करेंगे। इसके उपरांत Application form For Scrutiny प्रदर्शित होगा, जिसमें विद्यार्थी का सभी विवरणी विषय सहित उपलब्ध रहेगा।

(iii) जिस विषय/विषयों में विद्यार्थी को उत्तरपुस्तिका की स्क्रूटनी कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो, वे उस विषय/विषयों के सामने अंकित चेक बॉक्स के अन्दर (√) मार्क करेंगे।

(iv) तत्पश्चात् Fee Payment के लिए पेज पर उपलब्ध Fee payment button (Make Payment) को क्लिक करेंगे। निर्धारित स्क्रूटनी शुल्क के भुगतान हेतु राशि डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैंकिंग के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। परीक्षार्थी ऑनलाइन भुगतान के पश्चात् 24 घंटे के अन्दर अपने बैंक खाता से राशि की निकासी हुई है या नहीं, इसकी जाँच कर स्वयं संतुष्ट हो लेंगे। खाता से राशि की निकासी के पश्चात् समिति के खाता में जमा नहीं होने की स्थिति में संबंधित आवेदन अपूर्ण मानते हुए स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4. समिति विनियमावली में वर्णित प्रावधान के अन्तर्गत स्क्रूटनी निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित होगी :–

- यदि उत्तरपुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के अंक मुख पृष्ठ पर अंकित नहीं है, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- प्रदत्त अंकों के योग में यदि कोई-त्रुटि हो, तो उसमें सुधार किया जायेगा।
- यदि कोई प्रश्न या उसके खण्ड के प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है, तो उसका मूल्यांकन कर प्राप्तांक में सुधार किया जायेगा।
- स्क्रूटनी के परिणामस्वरूप अंक बढ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत् रह सकते हैं।